39

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   १२०१४ निगरानी R3450-III/14

१- ठाकुर लाल आदिवासी,
२- हरवीर | पुत्रगण सीताराम
३- धर्मेन्द्र |
४- सीताराम पुत्र नारायण सिंह,
समस्त निवासीगण- ग्राम पहौरा सड़क,
तेहसील कोलारस, जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश)।
----- प्रार्थीगण

श्री एस० के० अवस्थी, अभि० द्वारा आज दि. 10-10-14 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 10-10-14 4.20 P.M
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बिरुध्द

१- औतार सिंह पुत्र हुकुम सिंह जाट,
२- सोमोती पत्नी औतार सिंह जाट,
दोनो निवासी ग्राम टेहरकी तेहसील व
जिला पलवल (हरियाणा)।
हाल निवासी ग्राम टीला, कोलारस तेहसील व जिला शिवपुरी। -----प्रतिप्रार्थीगण

10/10/14

निगरानी बिरुध्द आदेश नायब तेहसीलदार महोदय, तेहसील कोलारस, दिनांक २७-६-१४, अन्तर्गत धारा ५०-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० २५/१३-१४-अ-७०।।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही रूप से नहीं समझा है।

३- यह कि, जब इन्द्राज दुरुस्ती का प्रकरण वर्तमान में इस माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण में विचाराधीन है

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला–शिवपुरी

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3450–तीन / 2014

ठाकुर लाल आदि विरूद्ध औतार सिंह व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार, तहसील कोलारस, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 25 / 2013–14 / अ–70 में पारित आदेश दिनांक 27–09–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09–09–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	